राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 25 अप्रेल, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र पारीक/श्री ज्ञानदेव आहूजा/श्री रामलाल शर्मा/श्री निर्मल कुमावत, सदस्य, विधान सभा, राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता दिये जाने के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-127 दिनांक 30.3.2017 जिसके द्वारा प्रोपर्टी पर बीस वर्ष तक की अवधि के लाइसेंस और लाइसेंस समझौते पर पंजीयन शुल्क में कमी की गई है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(102)वित्त/कर/2010-128 दिनांक 31.3.2017 जिसके द्वारा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़ द्वारा बसों के क्रय पर देय वैट में छूट प्रदान की गई है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-129 दिनांक 31.3.2017 जिसके द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पोषण के विकास के लिये मुद्रांक शुल्क पर 10 प्रतिशत सरचार्ज निर्धारित किया गया है ;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-130 दिनांक 31.3.2017 जिसके द्वारा गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजनों के दस्तावेजों पर देय मुद्रांक शुल्क पर 10 प्रतिशत सरचार्ज निर्धारित किया गया है ;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-131 दिनांक 31.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;

जारी..2..

6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(95)वित्त/कर/2016-01 दिनांक 18.4.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(95)वित्त/कर/2016-02 दिनांक 18.4.2017 जिसके द्वारा समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत किसी व्यवहारी द्वारा राजफैड को विक्रय किये गये सरसों पर छूट प्रदान की गई है ;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(95)वित्त/कर/2016-03 दिनांक 18.4.2017 जिसके द्वारा समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत राजफैड द्वारा नाफैड को विक्रय किये गये सरसों पर छूट प्रदान की गई है ; एवं
9. अधिसूचना संख्या: एफ.24(6)वित्त/कर/2017-05 दिनांक 19.4.2017 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म 'एक थी रानी ऐसी भी' को मनोरंजन कर से शत-प्रतिशत सशर्त छूट प्रदान की गई है ।

4. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री श्रीचन्द कृपलानी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-12)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री श्रीचन्द कृपलानी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-13)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(III) राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री श्रीचन्द कृपलानी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-27)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-28)

"राजस्थान राज्य में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 24 अप्रेल, 2017